

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 42/2022

रजिस्ट्रेशन नं. : 2022/68

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

पंजाब नेशनल बैंक, बांसवाड़ा, बनाम
बीएसएल।

अप्रार्थी /रेस्पोंडेंट्स:-

श्री मोहनलाल हरिजन पिता रुपाजी हरिजन
गाँव एवं पोस्ट सुरवानिया, वाया बडौदिया,
जिला बांसवाड़ा (राज.)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 17.11.2022

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक, सर्कल ऑफिस उदयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पंजाब नेशनल बैंक शाखा बांसवाड़ा ने श्री मोहनलाल हरिजन पिता रुपाजी हरिजन गाँव एवं पोस्ट सुरवानिया, वाया बडौदिया, जिला बांसवाड़ा (राज.) को दिनांक 30.03.2012 एवं 31.05.2013 को राशि रुपया 5,00,000 एवं 1,25,000 का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थी नियमित रूप से उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 31.03.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थी के खाते दिनांक 31.03.2021 तक कुल बकाया राशि 6,18,007.08 रु. एवं दिनांक 31.03.2021 के पश्चात् राशि मय भविष्य का ब्याज लागू दर से मय अदत खर्चों सहित की वसूली के पूर्ण भुगतान हेतु स्वयं जिम्मेदार है। अप्रार्थी द्वारा सिक्योरिटी के रूप में रहन रखी गई अपनी अचल सम्पत्ति जिसका विवरण श्री मोहनलाल हरिजन पिता रुपाजी हरिजन के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति पट्टा नं. 8, जिसका क्षेत्रफल 960 वर्गफिट है जो पाडी रोड, गाँव सुरवानिया, तहसील एवं बांसवाड़ा में स्थित है, जिसके पूर्व में सडक और श्री शंकर पिता खेमा का मकान, पश्चिम में सडक और श्री अंबालाल पिता रुपा का मकान, उत्तर में श्री छगन पिता रमेश की भूमि, दक्षिण में श्री मोहनलाल पिता रुपाजी का मकान स्थित है। उपरोक्त रहन रखी गई अचल सम्पत्ति जिसका ऋणी ने करार कर ऋण राशि अदायगी हेतु आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।



कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)



प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दिनांक 08-06-2021 को ऋणी अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व ऋण राशि जमा नहीं करवाई। अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य निष्पादित बंधक करार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 07.10.2022 को जारी किया गया। 21.10.2022 को बाद तामील प्रस्तुत हुआ। अप्रार्थी दौराने सुनवाई दिनांक 21.10.2022, 11.11.2022, अनुपस्थित रहे है।


दिनांक 17.11.2022 को भी अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। बार बार रुक रुक कर ऋणी/अप्रार्थी को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे है। अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं बैंक द्वारा अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने पर सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात पंजाब नेशनल बैंक, बॉसवाडा को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
बल्लकट्टर एत जिला मजिस्ट्रेट,
बॉसवाडा (राज.)
बॉसवाडा